न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 36/2022

अनवान :–

1. कमल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरि०।

प्रार्थी

बनाम्

1. भोली पुत्री तिलोका जाति बावरी निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अंकित कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरि० ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री सुभाष गर्ग प्रार्थी

श्री करनैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 17/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चकनं0 3 बी. आर डबल्यू के खाता सं0 17/16 के प0न0 226/319 मु0 75 किलानं0 25, प0न0 226/320 मु0 80 किलानं0 5,6,15,16, प0न0 227/319 मु0 74 किलानं0 21, 22, प0न0 227/320 मु0 81 किलानं0 1,2,3,9,10,11,12,19, 20, 21, 22, कुल 4.554 है0 आराजी ब0हि०ब० दर्ज रास्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के खाता सं0 149/127 प०न० 227/320 मु0 81 किलानं0 17, 18, 23, 24, प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3,8 कुल 1.518 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है । 3. यह कि चकनं0 3 बी. आर. डबल्यू के प0न0 227/320 मु0 81 किलानं0 21/2/013, 22/2/.012, 23/2/013 है0 पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी दिशा की तरफ चौड़ा रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी चक के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 4/2/ .013, 5/2/012 है० चौड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 अप्रार्थीया सं0 1 की कृषि भूमि वाके चकनं0 3 बी. आर डबल्यू के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में उतरी–पूर्वी कॉर्नर से होकर प०न० 227/320 मु0 81 किलानं0 23/2 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के प0न0 227/320 मु0 81 किलानं0 22 में प्रवेश करते चले आ रहे है, उक्त रास्ता के अलांवा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई स्वीकृत या नजदीकी रास्ता उपलब्ध नही है । उपरोक्त रास्ता जरिये पंचायती राजीनामा में करीब 35–40 वर्ष पूर्व अप्रार्थीया के पिता तिलोका ने छोड़ा हुआ है जो मौका पर आज भी चालू है । प्रार्थी

अप्रार्थी सं0 2 उपरोक्त रास्ता से अपनी कृषि भूमि काश्त करते चले आ रहे है, उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अंकित चालु रास्ता बिना किसी बाधा के चला आ रहा है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 करते चले आ रहे है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 को काफी परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं0 1 की भूमि चकनं0 3 बी आर डबल्यू के प०न० 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में 162 गुणा 33 फुट यानि 005 है0 उतरी–पूर्वी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहता है । रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी डी. एल. सी. रेट के हिसाब से अप्रार्थीया संव 1 को राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अंकित रास्ता मौका पर चालू है लेकिन अब अप्रार्थीया सं० 1 जो कि जानबुझ कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 को तंग व परेशान करने की नियत से चकनं0 3 बी आर डबल्यू के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में .005 है० उतरी–पूर्वी कॉर्नर में चालू रास्ता को नष्ट कर बन्द करने की फिराक में है। अगर अप्रार्थीया ने उक्त चालु रास्ता को नष्ट कर दिया व बन्द कर दिया तो प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 अपनी कृषि भूमि में आवागमन नही कर सकेगे व प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 को अपूर्णीय क्षति होगी, जबकि उक्त रास्ता अप्रार्थीया सं0 1 के पिता द्वारा जरिये पंचायती राजीनामा के आज से करीब 35–40 वर्ष पुराना छोड़ा हुआ है जो चालू है, इसलिए प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीया अपनी आराजी मे दर्ज चकनं० 3 बी.आर डबल्यू के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में चालू 16 1/2 गुणा 33 फुट यानि .005 है0 उतरी–पूर्वी कॉर्नर रास्ता को अप्रार्थीया सं0 1 किसी प्रकार से बन्द करने, उसे नष्ट करने तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा कारित करने से निषेद रहे। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थीया सं० 1 को आज से तीन रोज पूर्व ग्राम बेहरवाला में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अंकित चालु रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता अंकन करवा देवे तथा अप्रार्थीया सं0 1 उक्त चालु रास्ता को बन्द न करे तथा उसे नष्ट न करे तो अप्रार्थीया सं0 1, हमारे निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गयी। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र। मुकदमा हाजा के समय अप्रार्थी सं0 2 हाजिर अदालत नही होने के कारण अप्रार्थी संव 2 बनाया गया है वह चाहे तो प्रार्थी बन सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया सं0 1 की कृषि भूमि चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में 16/2 गुणा 33 फुट यानि .005 है0 उतरी–पूर्वी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत फरमान किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे गै०मु० रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी स0 1 की लौटती डाक लेने से इंकार प्राप्त होने पर अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध दिनांक 30.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, अप्रार्थी स0 2 के अधिवक्ता द्वारा

आदेशिका दिनांक 13.06.2025 को आदेशिका पर अंकन किया की प्रार्थी मुताबिक अनुतोष रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी स0 2 को कोई आपति एंव ऐतराज नही है। तहसीलदार टिब्बी के पत्रांक 2986 दिनांक 27.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी, मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मय पटवारी रिपोर्ट अनुसार चक 3 बीआर डब्लयु में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो कि प0न0 227/320 मु0 81 किला न0 21 से 23 गै0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है परन्तु मौका पर किला न0 21 व 22 में रास्ता चालु है जबकि प0न0 227/321 मु0 95 किला न0 4 व 5 में गै0मु0 रास्ता दर्ज है जकि किला न0 3,4,5 में मौका पर रास्ता चल रहा है प्रार्थी पत्थर लाईन के दोनो तरफ से रास्ते को कनेक्ट करने के लिए किला न0 3 प0न0 227/321 मु0 95 में उतरी पूर्वी कोने में .005 है0 गै0मु0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है आवागमन सुविधाजनक रखने के लिए प0न0 227/321 मु0 95 किला न0 3/.005 में रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली सलंग्न दस्तावेजो एंव तहसीलदार टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मुताबिक तहसीलदार राजस्व रिपोर्ट चक 3 बीआर डब्लयु के प0न0 227/320 मु0 81 किला न0 21 से 23 मै0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है एंव मौके पर चल रहा है व इसके नीचे चिपते मुरब्बा में प0न0 227/321 मु0 95 किला न0 4 व 5 में गै0मु0 रास्ता दर्ज है प्रार्थी द्वारा प0न0 227/321 मु0 95 किला न0 3/.005 उतरी पूर्वी कॉर्नर को स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा से जाहिर होता है उक्त कॉर्नर में रास्ता स्वीकृत किये जाने से दो स्वीकृतशूद्धा रास्तो का मिलान हो रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो के सुसंगत होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के प0न0 227/321 मु0 95 किलानं0 3 में 16/2 गुणा 33 फुट यानि .005 है0 उतरी-पूर्वी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में उतनी ही भूमि की डीलसी दर की दुगनी राशि अप्रार्थी के प्रतिकर के रूप में राजकोष में जमा होने के बाद यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी